HRA AN USIUS The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 13, 2012/पौष 23, 1933

No. 10]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 13, 2012/PAUSA 23, 1933

पोत परिवहन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2012

सा का,नि 10(अ) —वाणिज्यिक पोव परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 435 यू द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम वाणिज्यिक पोत परिवहन (भारतीय मात्स्यिकी नौकाओं का पंजीकरण) नियम, 1988 में और संशोधन करने के लिए बनाती है।

- া. (1) इन नियमो को वाणिज्यिक पोत परिवहन (भारतीय मात्स्यिकी नौकाओ का पंजीकरण)संशोधन नियम, 2012 क्रहा जाएगा।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होग।
- 2. वाणिज्यिक पोत परिवहन (भारतीय मात्स्यिकी नौकाओं का पंजीकरण) नियम, 1988, नियम, 3, उप–नियम (2) के बाद निम्नलिखित उप–नियम जोडे जाएंगे जो हैं;
 - "(3) अधिनियम की धारा 435 जी के अंतर्गत विद्यमान भारतीय मात्स्यिकी नौका के पंजीकरण के प्रमाण-पत्र की स्वीकृति के लिए हर आवेदन परिशोधित आरूप में होगा, यह प्रपत्र IV में विनिर्दिष्ट है जो प्रपत्र I में बनाया जाएगा, किसी शुल्क का भूगतान नहीं किया जाएगा, और यह आवेदन उस भारतीय मात्स्यिकी नौका के पंजीयन पत्तन के पंजीकार का किया जाएगा।
 - (4) उप-नियम (3) के अतर्गत हर आवेदन के साथ यह होगे ।
 - (ए) प्रपत्र IV में भारतीय मात्स्यिकी नौका के विवरण,
 - (बी) वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 435 जी की उपधारा या समय-समय पर प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अतर्गत पहले स्स्वीकृत पजीयन का मूल प्रमाण-पत्र"

[फा स एस आर-18020/8/2009-एम जी(पी टी)]

राकेश श्रीवास्तव, सयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी: 7 अक्तूबर 1988 को माका नि 866 के राजकीय राजपत्र म प्रमुख नियम प्रकाशित कर दिए गए तथा उसके बाद इनमें साका नि 218 दिनाक 21 अप्रैल, 1994, सा का नि 774 (अ), दिनाक 28 दिसबर, 1998, साका नि 448 (अ), दिनाक 24 जन 2009 के अनुसार मशोधन किया गया।

MINISTRY OF SHIPPING

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2012

- G.S.R. 10(E).—In exercise of the powers conferred by Section 435 U of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the "Merchant Shipping (Registration of Indian Fishing Boats) Rules, 1988, namely —
- 1. (1) These rules may be called the Merchant Shipping (Registration of Indian Fishing Boats) Amendment Rules, 2012.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Merchant Shipping (Registration of Indian Fishing Boats) Rules, 1988, in rule 3, after sub-rule (2), the following sub-rules shall be inserted, namely:
 - "(3) Every application for the grant of certification of registry of an existing Indian fishing hoat under section 435G of the Act, in the revised format, as specified in 'Form IV' shall be made in Form I, without payment of any fee, to the Registrar of the port of Registry of that Indian fishing boat.
 - (4) Every application under sub-rule (3) shall be accompanied by-
 - (a) the particulars of the Indian fishing boat in Form IV:
 - (b) the original certificate of registry previously granted under sub-section (4) of Section 435G of the Merchant Shipping Act, 1958 or under any other law for the time being in force."

[F. No. SR -18020/8/2009-MG(Pt)]

RAKESH SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Foot Note.—The principal rules were published in the Official Gazette vide GS.R 866 dated 7th October 1988 and subsequently amended vide GS.R. 218 dated 21st April, 1994, GS.R. 774 (E), dated 28th December, 1998, GS R 448(E) dated 24th June, 2009.